उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या– 550/VII-A-1/2026–03(101)/2021
देहरादूनः दिनांकः 06 मार्च, 2026

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

राज्यपाल, खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 यथासंशोधित 2024 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (पंचम संशोधन) नीति, 2026

**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

1. (1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (पंचम संशोधन) नीति 2026 है।

   (2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**बिन्दु संख्या 25 के उपबिन्दु 1 का संशोधन**

2. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान बिन्दु 25 के उपबिन्दु 1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान बिन्दु | स्तम्भ–2<br>प्रतिस्थापित बिन्दु |
|---|---|
| 25. आवेदन | 25. आवेदन |
| (1) मैदानी क्षेत्रों मे हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु दूरी के मानक निम्नानुसार होंगे :–<br>1. शहर व कस्बों की सीमा से– 01 कि0मी0<br>2. आवासों से दूरी– 0.5 कि0मी0<br>3. राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग (मध्य रेखा से) से– 0.2 कि0मी0<br>4. स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, मन्दिर से – 0.5 कि0मी0<br>5. अस्पताल, न्यायालय तथा पर्यटन स्थल से– 01 कि0मी0 | (1) मैदानी क्षेत्रों मे हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु दूरी के मानक निम्नानुसार होंगे :–<br>1. शहर व कस्बों की सीमा से– 01 कि0मी0<br>2. आवासों से दूरी– 0.5 कि0मी0<br>3. राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग (मध्य रेखा से) से– 0.2 कि0मी0<br>4. स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, मन्दिर से – 0.5 कि0मी0<br>5. अस्पताल, न्यायालय तथा पर्यटन स्थल से– 01 कि0मी0 |
| पर्वतीय क्षेत्रों में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु दूरी के मानक मैदानी क्षेत्रों मे दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत लागू होंगे। | पर्वतीय क्षेत्रों में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु दूरी के मानकों में से राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग (मध्य रेखा से) से दूरी के मानक 0.05 कि0मी0 होंगे, शेष अन्य सभी मानक मैदानी क्षेत्रों में दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत लागू रहेंगे। |

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner